

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
बृहस्पतिवार 28 दिसम्बर, 1995 / पौष 7, 1917 ॥शक॥

संख्या. 231

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक: 8. 12. 95 को निम्नलिखित संसूचना दिनांक 14. 12. 95 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री स्वरूप चन्द राजन, सुरेश चन्द गौड़, ज्ञान चन्द, विनोद कुमार शर्मा एवं ओ.पी. बब्बर विधायकों को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् 8. 12. 95 को अपराह्न 1. 30 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 8. 12. 95 को अपराह्न 2. 00 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, December 28, 1995/Pausa 7, 1917 (Saka)

No. 231

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following wireless message dated 8.12.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 14.12.95 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Swarup Chand Rajan, Naresh Chand Gaur, Gian Chand, Vinod Kumar Sharma and O.P. Babbar, Hon'ble Members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1330 hours today i.e. 8.12.95.

They were released at 1400 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 8.12.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY